

प्रारूप-18

परियोजना का नाम -जाडी से चकराता पाईप लाईन

कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

ह0/-

प्रयोक्ता एजेन्सी

Lt Col
AA&QMG
Est No 22

वन विभागाध्यक्ष
चकराता वन प्रभाग
अधिसूचना

प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग
प्रभागीय वनाधिकारी

उप-प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग
अधिसूचना